

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक 89 (App.) /

बिलासपुर, दिनांक: 8 दिसम्बर, 2021

II-14-30/2005

श्रीमती सुस्मिता कुम्ले, पति स्व. श्री संतोष कुमार, मकान नम्बर- 609/1, बाबू उप-नगर, खेल मैदान के पास, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर अनारक्षित पद के विरुद्ध **भृत्य** के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 (रु. 15600-49400) पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से **3 वर्ष** की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन **अनुकम्पा नियुक्ति** प्रदान किया जाता है:-

- (1) परिवीक्षा अवधि पर उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में उक्त चयनित पद के वेतनमान के न्यूनतम का क्रमशः 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जावेगा परन्तु उक्त परिवीक्षा अवधि में उन्हें स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर एवं उन्हें सेवा या पद पर स्थाई किये जाने के पश्चात् उनका वेतन उनके द्वारा धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जावेगा।
- (2) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परिवीक्षा पर माना जायेगा।
- (3) परिवीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
- (4) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना रजिस्ट्री को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियुक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियुक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
- (5) उन्हें दिनांक 17.12.2021 तक अनिवार्य रूप से अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा।
- (6) वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगे जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।
- (7) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में यह नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जा सकेगा।
- (8) उन्हें अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में यह नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
- (9) वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
- (10) वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे, और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(Signature)

- (11) वे कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करें। यह पाये जाने पर कि उन्होंने अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- (12) उनकी वरीयता आज तक इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर नियुक्त भृत्य के सबसे अंतिम स्थान पर होगा।
- (13) उन्हें अपने पति के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करना होगा। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि उनके द्वारा आश्रित परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो उनकी अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- (14) यह नियुक्ति आदेश उनके उपलब्ध निवास के पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाइट पर भी अपलोड की जा रही है। वे नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकती हैं।
- (15) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवार्य (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवार्य उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार

सही/-

(संजय कुमार जायसवाल)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांक क्रमांक 12257 /

बिलासपुर, दिनांक: 8 दिसम्बर, 2021

II-14-30/2005

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
2. एडिशनल रजिस्ट्रार (जिला स्था./प्रशासन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. प्रभारी रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन)-कम-सी.पी.सी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उक्त आदेश को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. बजट अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
5. लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. सहायक रजिस्ट्रार (स्था.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. अनुभाग अधिकारी (कैश/लेखा), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
8. कोर्ट ऑफिसर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. श्रीमती सुस्मिता कुम्ले, पति स्व. श्री संतोष कुमार, मकान नम्बर- 609/1, बाबू उप-नगर, खेल मैदान के पास, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित।

*Be up to date
07.12.21*

(संजय कुमार जायसवाल)

रजिस्ट्रार जनरल